

कॉनकॉर में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतिबंध

कॉनकॉर में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित कोई भी कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। यह समिति कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों की छानबीन करती है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	के रूप में नामित	टेलीफोन न.	ईमेल आई डी
1.	श्रीमती संगीता रामरखयानी समूह महाप्रबंधक(मा.सं.)	अध्यक्ष	41673037	sangeeta@concorindia.com
2.	श्रीमती मल्लिका आर्य स.म.प्र.(सीमाशुल्क एवं प्रशिक्षण	सदस्य	41673123	ggmcustoms@@concorindia.com
3.	श्री दीपक कपूर कार्यपालक निदेशक (एल एंड ए)	सदस्य	41673126	Deepakkapoor@concorindia.com
4.	श्रीमती मीरा माथुर हरचंदानी, एडवोकेट, उच्चतम न्यायलय, भारत)	सदस्य (बाहरी)	----- -	-----

उपर्युक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय की किसी भी युनिट में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का मानव संसाधन विभाग का मुखिया समिति का सह सदस्य है। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नाम एवं पदनाम	टेलीफोन न.	ईमेल आई डी
1.	पूर्वी (ई आर)	श्री बी के महापात्रा महाप्रबंधक (का एवं प्रशा)	033-22267105	bkmahapatra@concorindia.com
2.	उत्तरी (एन आर)	श्रीमती संगीता श्री वास्तव व.महाप्रबंधक (का एवं प्र	011-26367202	sangeeta@concorindia.com
3.	उत्तर मध्य (एनसीआर)	सुश्री अंजू ठाकुर , उप महाप्रबंधक (का. एवं प्र.)	0120-4052905	anju@concorindia.com
4.	उत्तर पश्चिम(एन डब्लू आर)	श्री शमीम अहमद स.प्र. (का एवं प्र))	079-40273305	sahmed@concorindia.com

5.	मध्य (सी आर)	श्री रविंद्र सिंह पर्यवेक्षक (का एवं प्र))	9850388851	ravindras@concorindia.com
6.	दक्षिणी (एस आर)	श्री के वेलवन महाप्रबंधक (का एवं प्र)	044-26481931	velavan@concorindia.com
7.	दक्षिण मध्य (एस सी आर)	श्री टी.के. राजेश स. प्रबंधक (का एवं प्र)	040-66324773	tkrajesh@concorindia.com
8.	पश्चिमी (डब्ल्यू आर)	श्रीमती कविता श्रीवास्तव प्रबंधक (का एवं प्र)	022-22632895	kavitasrivastava@concorindia.com

कॉन्कॉर में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित कोई भी शिकायत इनमें से किसी को भी की जा सकती है :-

समिति के किसी भी सदस्य को

संबंधित क्षेत्र के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को

क्षेत्रीय प्रमुख शिकायत को आंतरिक शिकायत समिति को भेजे जाने की व्यवस्था करेगा।

शिकायतकर्ता यदि अपनी पहचान को प्रकट नहीं करना चाहता है तो शिकायत व्यक्तिगत तौर पर कंपनी प्रमुख को दी जा सकती है ।

आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई जांच कॉन्कॉर के डी एंड ए नियमों और प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार की जाएगी तथा उन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अलग से कोई जांच नहीं की जाएगी।